



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

G20

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक:- 2645

/ FP/UK/ROAD/9600/2015 दिनांक: देहरादून 2

मई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार, पर्यावरण,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.70 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8B/UCP/06/165/2020/FC/1399 दि० 19.01.2023

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 19.01.2023 के अनुपालन में आख्या/सूचना वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक 1555/12-1 दिनांक 28.04.2023 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	The disposal of muck seems to be impossible in the hills during construction of road. Therefore, to avoid illegal muck dumping the assessment of appropriate sites for muck dumping is required to be done by the State Govt.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयांकित मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित मार्ग जिसकी चौड़ाई 4 से 6 मीटर है, मार्ग निर्माण से उत्पादित आंशित मलुवे का प्रयोग पट्टी भरण, मोड़ सुधार एवं सुपरएलीवेशन में किया जायेगा जिसका उल्लेख मकडिस्पोजल प्लान के नोट पर किया गया है।
2	State Govt. is requested to do the necessary correction at Para J of online Part I	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि Part-I, Part-J में आवश्यक सूचनायें अंकित कर दी गयी हैं।
3	On perusal of the alignment the connectivity to the village is achieved at point 25-28 (as stated in the digital map)hence, the construction of the road byond these points need to be avoided by the State Government	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि इसी मोटर मार्ग से आगे तोक कोटली तक मार्ग का विस्तार किया जाना है, जिसके लिए 5 किमी०मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में बजून-फगुनियाखेत मोटर मार्ग से तोक कोटली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य प्रथम चरण की स्वीकृति शासन के शासनादेश e file 47917 दिनांक 13.03.2023 प्रदान की गयी है (संलग्नक 1) इस मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अलग से स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, इस मार्ग को आगे बढ़ाने से तोक कोटली के ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। अतः बजून में फगुनियाखेत पूर्व से निर्मित मार्ग का सुधारीकरण एवं चौड़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है।
4	State Govt. is requested to mark the location of villages to be benefitted in the KML file.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि KML File में लाभान्वित ग्रामों को प्रदर्शित कर दिया गया है।
5	The NPV calculation with revised rate	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया



<p>is not found uploaded as an additional document in online Part-II. Therefore, that State Govt. is requested to submit/upload the NPV calculation with revised rates.</p>	<p>है कि NPV गणना नये दरों के अनुसार अपलोड कर दी गयी है।</p>
---	--

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विभाग के अनुरोध के दृष्टिगतप्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
 नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 2645 / FP/UK/ROAD/9600/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक 1555/12-1 दिनांक 28.04.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
 नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

व